झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

(आवास प्रभाग)

संकल्प

विषयः– पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर चाईबासा अंचलान्तर्गत मौजा सालीहातु में आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु 3.00 एकड़ पुरानी परती जमीन नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरित भूमि को झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची को निःशुल्क हस्तांतरण किये जाने के संबंध में।

1458
12/03/18

राज्य के जरूरतमंद नागरिकों को आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। इसी क्रम में राज्य सरकार से समय–समय पर प्राप्त निदेश के आलोक में सभी जिलों में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची द्वारा सम्पदाओं के विस्तारीकरण, पूर्व से चल रहे अन्य सभी कार्यक्रमों के अलावे आवासीय कॉलोनी के गुणवत्ता में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए स्मार्ट कॉलोनी का भी निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

2. झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची द्वारा विभिन्न आय वर्ग क्रमशः आर्थिक रूप से कमजोर आय/निम्न आय/मध्यम आय/उच्च आय वर्गीय मकान/फ्लैटों का निर्माण कर "झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू–सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004" में वर्णित प्रावधान के आलोक में आवंटित किया जाता है।

3. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची द्वारा समय–समय पर सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, शहीदों एवं लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों को निःशुल्क भूमि/मकानों का आवंटन किया जाता रहा है।

4. आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु प्रथम चरण में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के प्राप्त अनुरोध पर उपायुक्त, पश्चिमी सिहंभूम, चाईबासा सहित अन्य जिलों यथा जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो एवं देवघर इत्यादि जिलों से नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा निःशुल्क भूमि हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया है।

साथ ही, भविष्य में भी आवश्यकतानुसार अन्य जिलों से भी भूमि हस्तांतरण की अधियाचना की जाएगी।

5. इसी क्रम में जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा (राजस्व शाखा) के पत्रांक–16(A) दिनांक–28.01.2017 द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर चाईबासा अंचलान्तर्गत मौजा सालीहातु, थाना संख्या–583, खाता सं०–01, प्लॉट सं०–23/अंश, रकबा 3.00 (तीन) एकड़ किस्म जमीन पुरानी परती अनाबाद बिहार सरकार भूमि आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को निःशुल्क हस्तांतरण किया गया है।

6. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त सहमति एवं शर्त्त के आलोक में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची को प्रस्तावित भूमि निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं०–3026/रा, दिनांक–07.10.2010 की कंडिका–1 को शिथिल किया जाता है।

झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची भूमि हस्तांतरित होने के छः माह के अन्दर स्थल पर अपना कार्य प्रारम्भ करेगा। निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नहीं करने पर भूमि हस्तांतरण को रद्द किया जा सकेगा तथा उक्त भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को वापस हो जाएगी।

7. नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची द्वारा झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची को हस्तांतरित की गई भूमि का उपयोग बोर्ड द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित करने के प्रयोजन में किया जाएगा।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–06.03.2018 की बैठक में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (ले० एवं ह०), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

12.3.18

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–7/न०वि०अ०/भू० अधि०–101/2017.....1458/ राँची, दिनांकः–12/03/18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, e-Gazettee, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12.3.18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–7/न०वि०अ०/भू० अधि०–101/2017.....1458/ राँची, दिनांकः–12/03/18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.3.18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–7/न०वि०अ०/भू० अधि०–101/2017.....1458/ राँची, दिनांकः–12/03/18

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, शहरी विकास अभिकरण/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची/नगर निवेशक, नगर निवेशक संगठन (मुख्यालय)/नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/प्राधिकार, झारखण्ड/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.18

सरकार के प्रधान सचिव।